



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2018/श्रावण 9, 1940

No. 287]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2018/SHRAVANA 9, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम, 2018

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2018

मि. सं. 1-18/2010 (सीपीपी-II).—

प्रस्तावना

जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 के अनुसार, उच्च शिक्षा के मानकों को समन्वित एवं सुनिश्चित करने के लिए आदेशाधीन है।

तथा जबकि, किसी छात्र या संकाय या शोधकर्ता या कर्मचारी द्वारा निष्ठात तथा शोध स्तर पर डिग्री प्रदान करने हेतु आंशिक रूप से सम्पादित किया गया कार्य, जिसका अकादमिक एवं शोधकार्य का मूल्यांकन किया जा चुका हो, जो शोध-निबन्ध, शोध-प्रबन्ध, शोध पत्रों के प्रकाशन, पुस्तकों में अध्याय, सम्पूर्ण पुस्तकों के रूप में हो तथा कोई अन्य समरूप कार्य, जो अकादमिक, सत्यनिष्ठा एवं मौलिकता के मूल तत्वों को दर्शाये तथा जिसका उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) द्वारा अपनायी गई विभिन्न संबंधित प्रक्रियाओं में अवलोकन किया जाए।

अतः, वि. अ. आ. अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 26 के उप अनुच्छेद (1) के खण्ड (एफ) एवं (जी) के साथ पठित अनुच्छेद 12 के खण्ड (जे) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वि. अ. आ. ने एतद्वारा निम्नलिखित विनियम निर्मित किए हैं:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग तथा प्रारंभ :

- (ए) इन नियमों को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सत्यनिष्ठा एवं साहित्यिक चोरी की रोकथाम को प्रोत्साहन) विनियम 2018 कहा जाएगा।
- (बी) ये विनियम, देश के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों, संकायों, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारियों पर लागू होंगे।
- (सी) ये विनियम, सरकारी राजपत्र में उनकी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषा:

इन विनियमों में, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (ए) "अकादमिक सत्यनिष्ठा" से तात्पर्य, किसी क्रियाकलाप को प्रस्तावित करने, निष्पादित करने, सूचित करने एवं बौद्धिक ईमानदारी से है, जिससे बौद्धिक गुणों का सृजन हो सके।
- (बी) "रचनाकार" रचनाकार के अंतर्गत उच्चतर शैक्षिक संस्थान (HEI) के छात्र या संकाय या शोधकर्ता या कर्मचारी आते हैं जो विचाराधीन कार्य के सृजनकर्ता होते हैं।
- (सी) "आयोग" से अभिप्राय वि. अ. आ. से है, जैसा कि वि. अ. आ. अधिनियम, 1956 में यथापरिभाषित है।
- (डी) "सामान्य ज्ञान" से अभिप्राय, सुप्रसिद्ध तथ्य, उद्धरण, आंकड़ा या जानकारी से है जिसकी अधिकांश व्यक्तियों को जानकारी हो।
- (ई) "डिग्री" से अभिप्राय, वि. अ. आ. द्वारा निर्धारित की गई ऐसी डिग्री से है जो कि वि. अ. आ. अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की गई हो।
- (एफ) "विभागीय अकादमिक सत्यनिष्ठा नामसूची" से तात्पर्य होगा विभागीय स्तर पर गठित निकाय, जो साहित्यिक चोरी के आरोपों की जांच पड़ताल करेगा।
- (जी) "संकाय" से तात्पर्य, किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान में नामांकित किसी व्यक्ति से है जो छात्रों को शिक्षण तथा/या मार्गदर्शन प्रदान करता हो, चाहे वह किसी भी क्षमता का हो अर्थात् नियमित, तदर्थ, अतिथि, अस्थायी, मुलाकाती आदि।
- (एच) "उच्चतर शिक्षा संस्थान (HEI)" से अभिप्राय ऐसे वि. वि. से है जो वि. अ. आ. अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 2(एफ) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त हो या वि. अ. आ. अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत वह संस्थान जो मानित वि. वि. के अंतर्गत आता हो या मान्य महाविद्यालय/संस्थान या किसी वि. वि. की एक संघटक इकाई हो।
- (आई) "सूचना" इसके अंतर्गत आंकड़े, संदेश, पाठ्यवस्तु, आकृतियाँ, ध्वनि, आवाज, कोड, कम्प्यूटर कार्यक्रम, सॉफ्टवेयर एवं डाटाबेस या माइक्रोफिल्म या कम्प्यूटर सृजित माइक्रोफिश सम्मिलित हैं।
- (जे) "संस्थागत अकादमिक सत्यनिष्ठा नामसूची" से अभिप्राय एक ऐसे निकाय से है जो विभागीय अकादमिक सत्यनिष्ठा नामसूची की सिफारिशों पर विचार करने के लिए तथा साहित्यिक चोरी के आरोपों के बारे में उचित निर्णय लेने तथा दण्ड लागू करने संबंधी निर्णय लेने के लिए संस्थागत स्तर पर गठित किया गया हो। अपवादिक मामलों में यह न्यास संस्थागत स्तर पर साहित्यिक चोरी के आरोपों की जांच करेगा।
- (के) "अधिसूचना" से तात्पर्य, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई अधिसूचना से है तथा अधिसूचित करने की अभिव्यक्ति का उसके समानार्थी तथा व्याकरण्य भिन्नता के अनुरूप अनुमान लगाया जाएगा।
- (एल) "साहित्यिक चोरी" से अभिप्राय किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्य या विचार को निज प्रयोग में लेना तथा अपने नाम से दूसरे को देना।
- (एम) "पाठ्यक्रम" से तात्पर्य, अध्ययन किया जाने वाला वह पाठ्यक्रम जिसके लिए निष्णात एवं शोध स्तर पर डिग्री प्रदान की जाए।
- (एन) "शोधकर्ता" से तात्पर्य है उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में अकादमिक/वैज्ञानिक शोध करने वाला व्यक्ति।
- (ओ) "पाण्डुलिपि" के अंतर्गत शोध-लेख, शोध-निबन्ध, शोध-पत्र, पुस्तकों में अध्याय, सम्पूर्ण पुस्तकें तथा अन्य समान कार्य का मूल्यांकन/अभिमत हेतु जमा किया जाने वाला कार्य जो उच्चतर शिक्षा संस्थान के छात्रों या संकाय या शोधकर्ता या कर्मचारी द्वारा निष्णात एवं शोधस्तर की डिग्रियों को प्राप्त करने या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशन हेतु तैयार किया जाए। तथापि, इसमें नियत कार्य/आवधिक पत्र/परियोजना रिपोर्ट/पाठ्यक्रम संबंधी कार्य/निबन्ध तथा उत्तर पुस्तिकाएं शामिल नहीं होंगी।
- (पी) "स्रोत" से अभिप्राय, किसी भी स्रोत से किसी भी रूप में प्राप्त की गई प्रकाशित मुख्य एवं गौण अध्ययन सामग्री से है, जिसमें लिखित जानकारी तथा अन्य व्यक्तियों अर्थात् विख्यात विद्वानों, लोकप्रिय हस्तियों, किसी भी प्रकार के पेशेवर व्यक्तियों से प्रत्यक्षतः प्राप्त किये गए दृष्टिकोण को शामिल किया गया हो। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक रूप में आंकड़े एवं सूचना यथा श्रव्य, दृश्य, आकृति या पाठ्यक्रम के रूप में, जिसकी सूचना समान अर्थ में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुच्छेद 2(1)(V) के अंतर्गत वर्णित है तथा जिसको यहां विनियम 2(1) में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

- (क्यू) "कर्मचारी" से तात्पर्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में कार्यरत गैर-शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग से है, जो किसी भी क्षमता अर्थात् नियमित, अस्थायी, अनुबन्धात्मक, बाह्य स्त्रोत आदि में कार्यरत हों।
- (आर) "छात्र" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसका विधिवत दाखिला हुआ हो, पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा हो, जिसमें किसी भी पद्धति (पूर्णकालिक या अंशकालिक या दूरस्थ माध्यम) से अध्ययन करने वाले शोध पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया है।
- (एस) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय उन विश्वविद्यालयों से है, जो केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित अथवा निगमित हैं तथा उनमें वह मानित वि. वि. संस्थान सम्मिलित हैं जो यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद (3) के अंतर्गत आते हैं।
- (टी) "वर्ष" से तात्पर्य वह अकादमिक सत्र है, जिसमें प्रमाणित अपराध किया गया हो।
- ऐसे शब्द तथा अभिव्यक्तियां, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन वि.अ.आ. अधिनियम, 1956 में परिभाषित हैं तथा इन विनियमों के साथ सुसंगत नहीं हैं उनका इस अधिनियम में निर्दिष्ट तदनु रूप अर्थ लगाया जाएगा।

3. उद्देश्य:

- 3.1 शोध, शोध-पत्र, शोध-निबन्ध के दायित्वपूर्ण आचरण, अकादमिक सत्यनिष्ठा के प्रोत्साहन के प्रति जागरूकता पैदा करना, छात्र संकाय, शोधकर्ता एवं कर्मचारी वर्ग में अकादमिक लेखन में साहित्यिक चोरी सहित कदाचार से बचाव करना।
- 3.2 शिक्षण एवं प्रशिक्षण के जरिये, संस्थानात्मक तंत्र स्थापित करना, जिससे शोध, शोध-पत्र शोधनिबन्ध, अकादमिक सत्यनिष्ठा तथा साहित्यिक चोरी के निवारण में प्रोन्नति सहज हो सके।
- 3.3 साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए पद्धतियां विकसित करना तथा साहित्यिक चोरी से बचाव के लिए रचना-तंत्र की स्थापना करना तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान के छात्र, संकाय, शोधकर्ता या कर्मचारी को साहित्यिक चोरी का कृत्य करने पर दण्डित करना।

4. उच्चतर शिक्षा संस्थान के दायित्व :

प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान को एक ऐसे तंत्र की स्थापना करनी चाहिए जैसा कि इन विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि शोध एवं अकादमिक कार्यकलापों के दायित्वपूर्ण आचरण के प्रति जागरूकता लाने में संवर्धन करे, साथ ही अकादमिक सत्यनिष्ठा को प्रोन्नत करे तथा साहित्यिक चोरी से बचाव करे।

5. जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण :

- (क) उच्चतर शिक्षा संस्थान, अपने छात्रों, संकायों, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारियों को उचित आरोपण के संबंध में अनुदेश देगा, जहां कहीं भी आवश्यक हो, लेखक से स्वीकृति की मांग करेगा, आवश्यकतानुसार उन सुसंगत तथा अनुमतिनिर्दिष्ट अनुशासनों के स्त्रोत की जानकारी प्राप्त करेगा तथा जो नियमों के अनुरूप, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा स्त्रोत को नियंत्रित करने वाले विनियमों से संबंधित होंगे।
- (ख) उच्चतर शिक्षा संस्थान, प्रत्येक सत्र में सम्मेलन/जागरूकता कार्यक्रमों का सुग्राही संचालन करेगा, जो शोध, शोध-पत्र, शोध-निबन्ध के दायित्वपूर्ण आचरण तथा अकादमिक सत्यनिष्ठा की प्रोन्नति तथा छात्रों, संकायों, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारियों के लिए शिक्षा में नैतिकता को बढ़ावा देगा।
- (ग) उच्चतर शिक्षा संस्थान, निम्नलिखित कार्यों पर जोर देगा :
- i. एक अनिवार्य पाठ्यक्रम कार्यविधि/माड्यूल के रूप में स्नातकपूर्व (यूजी)/स्नातकोत्तर (पीजी)/निष्णात डिग्री की पाठ्यवस्तु में अकादमिक सत्यनिष्ठा के आधारभूत सिद्धांतों को सम्मिलित करना।
 - ii. निष्णात एवं शोधविशेषज्ञों के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम कार्यविधि/माड्यूल के रूप में शोध एवं प्रकाशन के दायित्वपूर्ण आचरण संबंधी मूल तत्त्वों को सम्मिलित करना।
 - iii. उच्चतर शिक्षा संस्थान के संकाय एवं कर्मचारी सदस्यों हेतु अभिमुखी एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों को आयोजित करना, शोध एवं प्रकाशन के आधारभूत दायित्वपूर्ण आचरण के तथ्यों को शामिल करना।
 - iv. छात्र, संकाय, शोधकर्ता एवं कर्मचारियों को साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले उपकरणों/साधनों तथा संदर्भबन्धन उपकरणों को प्रयुक्त करने का प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - v. साहित्यिक चोरी का पता लगाने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकियों सहित सुविधा उपकरणों की स्थापना करना।

- vi. अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की पंजीकरण पद्धतियों पर छात्र, संकाय शोधकर्ता एवं कर्मचारी सदस्य के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना।

6. साहित्यिक चोरी पर रोकथाम :

- (ए) उच्चतर शिक्षा संस्थान, उपयुक्त सॉफ्टवेयर प्रयुक्त करते हुए प्रौद्योगिकी आधारित रचनातंत्र की घोषणा एवं कार्यान्वयन करेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शोध-पत्र, शोध-निबन्ध, प्रकाशन या कोई अन्य दस्तावेज उसकी प्रस्तुति के समय साहित्यिक चोरी से मुक्त हैं।
- (बी) ऊपर (ए) में वर्णित रचनातंत्र, शोधकार्य में संलिप्त सभी छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें छात्र, संकाय शोधकर्ता एवं कर्मचारी सदस्य आदि भी सम्मिलित होंगे।
- (सी) प्रत्येक छात्र, जो शोध-पत्र, शोध-निबन्ध या समान दस्तावेज, उच्चतर शिक्षा संस्थान को प्रस्तुत करने जा रहा है, वह एक ऐसा वचन-बंध प्रस्तुत करेगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि प्रस्तुत दस्तावेज उसके द्वारा तैयार किया गया है तथा यह दस्तावेज उसका मौलिक लेखन कार्य है तथा किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी से मुक्त है।
- (डी) इस वचन-बंध में यह तथ्य भी शामिल किया जाएगा कि इस दस्तावेज की उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले उपकरणों के जरिये विधिवत जाँच कर ली गई है।
- (ई) संस्थान, साहित्यिक चोरी के संबंध में एक ऐसी संबंधित नीति का विकास करेगा तथा इससे संबंधित विधायी निकायों/प्राधिकरणों से उसे स्वीकृत कराएगा। स्वीकृत नीति को HEI वेबसाइट के होमपेज पर डाउनलोड किया जाएगा।
- (एफ) प्रत्येक पर्यवेक्षक, एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि शोधकर्ता द्वारा किया गया अमुक कार्य, शोधकर्ता के द्वारा तथा मेरे अधीन रहकर किया गया है तथा यह साहित्यिक चोरी से मुक्त है।
- (जी) संस्थान, सभी निष्णात, शोध पाठ्यक्रम के शोध-पत्रों तथा शोध-निबन्धों को, डिग्री प्रदान किए जाने के पश्चात् 1 माह के भीतर 'शोध गंगा ई-रिपोजिटरी' के अंतर्गत डिजिटल रिपोजिटरी को पोषित करने हेतु इनप्लीबनेट पर इसकी सॉफ्ट प्रतियां प्रस्तुत करेगा।
- (एच) संस्थान, संस्थानात्मक रिपोजिटरी का संस्थान की वेबसाइट पर सृजन करेगा जिसमें शोध-निबन्ध/शोध-पत्र/पत्र-आलेख/प्रकाशन तथा अन्य आंतरिक (इन-हाउस) प्रकाशनों को भी सम्मिलित करेगा।

7. साहित्यिक चोरी के बहिष्करण हेतु समरूपता रोकथाम :

साहित्यिक चोरी के लिए समानता जांच में निम्नवत वर्जित होंगे :

- सभी अनिवार्य अनुमतियों और/अथवा गुणधर्म के साथ उद्धृत कार्य।
- सभी सदर्म, पुस्तकसूची, विषयवस्तु की तालिका, आमुख तथा साभार।
- सभी सामान्य शब्दावली, विधि, मानक, चिह्न तथा मानक समीकरण।

नोट:

छात्रों, संकाय, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारिवृंदों द्वारा किया गया शोधकार्य, मूल विचार पर आधारित होगा, जिसमें केवल संक्षेपण, सारांश, अवधारणा, टिप्पणियां, परिणाम, निष्कर्ष तथा सिफारिशें शामिल होंगी तथा इसमें कोई समानताएं नहीं होंगी। इसमें चौदह (14) क्रमगत शब्दों तक सामान्य ज्ञान अथवा अनुरूप शब्दावली विवर्जित होगी।

8. साहित्यिक चोरी के स्तर :

साहित्यिक चोरी को परिभाषित करने के प्रयोजनार्थ उसकी गंभीरता के बढ़ते क्रम में साहित्यिक चोरी को निम्नवत स्तरों में मापा जाएगा:

- स्तर शून्य : दस प्रतिशत तक समानता— थोड़ी बहुत समानताएं, कोई दण्ड नहीं।
- प्रथम स्तर : दस प्रतिशत से चालीस प्रतिशत तक समानताएं।
- द्वितीय स्तर : चालीस प्रतिशत से साठ प्रतिशत तक समानताएं।
- तृतीय स्तर : साठ प्रतिशत से अधिक समानताएं।

9. साहित्यिक चोरी का पता लगाना/जानकारी प्रदान करना/कार्यवाही करना :

यदि शैक्षिक समुदाय का कोई सदस्य उपर्युक्त प्रमाण के साथ संदेह व्यक्त करता है कि किसी दस्तावेज में साहित्यिक चोरी का कोई प्रकरण बनता है, वह इस मामले की जानकारी विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा पेनल (डीएआईपी) को देगा। डीएआईपी, ऐसी शिकायत अथवा आरोप की प्राप्ति पर मामले की जांच करेगा तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान की संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा नामसूची (आईएआईपी) को अपनी सिफारिशें सौंपेगा।

उच्चतर शिक्षा संस्थान के प्राधिकारी साहित्यिक चोरी के कृत्य का स्वयंमेव संज्ञान भी ले सकते हैं और इन विनियमों के तहत कार्यवाहियां कर सकते हैं। इसी प्रकार, परीक्षक के निष्कर्षों के आधार पर भी उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा कार्यवाही आरंभ की जा सकती है। ऐसे सभी मामलों की आईएआईपी द्वारा जांच की जाएगी।

10. विभागीय शैक्षिक सत्यनिष्ठा नामसूची (डीएआईपी) :

- i. उच्चतर शिक्षा संस्थान के सभी विभाग एक डीएआईपी को अधिसूचित करेंगे जिसकी संरचना नीचे दी गई है:
 - क. अध्यक्ष—विभागाध्यक्ष
 - ख. सदस्य—विभाग से इतर एक वरिष्ठ शिक्षाविद्, जिसे उच्चतर शिक्षा संस्थान के प्रमुख द्वारा नामित किया जाएगा।
 - ग. सदस्य—साहित्यिक चोरी के साधनों से भली-भांति परिचित एक व्यक्ति, जिसे विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।

बिंदु 'ख' तथा 'ग' के संबंध में सदस्यगणों का कार्यकाल दो वर्षों का होगा। बैठक के लिए सदस्यों की गणपूर्ति 3 में से 2 सदस्यों द्वारा होगी (सभापति सहित)।

- ii. डीएआईपी, छात्रों, संकाय, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारिवृंदों के विरुद्ध साहित्यिक चोरी के आरोपों के संबंध में निर्णय देते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा।
 - iii. डीएआईपी, को साहित्यिक चोरी के स्तरों का मूल्यांकन करने तथा तदनुसार, दण्ड की सिफारिश करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।
 - iv. शिकायत प्राप्त होने/ कार्यवाहियां आरंभ किए जाने की तिथि से 45 दिनों के भीतर डीएआईपी, जांच उपरांत, अपनी रिपोर्ट सहित लगाए जाने वाले दण्डों पर अपनी सिफारिशों को आईएआईपी को प्रस्तुत करेगी।
11. संस्थागत शैक्षिक सत्यनिष्ठा पेनल (आईएआईपी) :

- i. उच्चतर शिक्षा संस्थान, आईएआईपी को अधिसूचित करेंगे जिसकी संरचना नीचे दी गई है :
 - क. अध्यक्ष—उच्चतर शिक्षा संस्थान का सम-कुलपति/संकाय अध्यक्ष/वरिष्ठ शिक्षाविद्।
 - ख. सदस्य—उच्चतर शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष द्वारा नामित एक वरिष्ठ शिक्षाविद्।
 - ग. सदस्य—उच्चतर शिक्षा संस्थान से इतर किसी अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थान द्वारा नामित किया जाने वाला एक सदस्यगण।
 - घ. सदस्य—साहित्यिक चोरी के साधनों से भली-भांति परिचित एक व्यक्ति, जिसे विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा।

एक ही व्यक्ति, डीएआईपी और आईएआईपी का अध्यक्ष नहीं होगा। अध्यक्ष सहित समिति के सदस्यगणों का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। बैठक के लिए सदस्यों की गणपूर्ति 3 में से 2 सदस्यों (सभापति सहित) द्वारा होगी।

- ii. आईएआईपी, डीएआईपी की सिफारिशों पर विचार करेगा।
- iii. आईएआईपी, इन विनियमों में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार साहित्यिक चोरी के मामलों की जांच भी करेगा।
- iv. आईएआईपी, उच्चतर शिक्षा संस्थान के छात्रों, संकाय, शोधकर्ताओं तथा कर्मचारिवृंदों के विरुद्ध साहित्यिक चोरी के आरोपों के संबंध में निर्णय देते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा।
- v. आईएआईपी को विधिवत् औचित्य के साथ दण्ड सहित डीएआईपी की सिफारिशों की समीक्षा करने की भी शक्तियां प्राप्त होंगी।
- vi. आईएआईपी जांच उपरांत रिपोर्ट तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रमुख द्वारा लगाए जाने वाले दण्ड संबंधी सिफारिशों को डीएआईपी द्वारा शिकायत प्राप्त होने/ कार्यवाहियां आरंभ किए जाने की तिथि से 45 दिनों के भीतर भेजेगा।
- vii. आईएआईपी उस व्यक्ति(यों) को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएगा जिसके विरुद्ध जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

